उत्तर प्रदेश में आधे मूल्य पर गेहूं वितरित करने की योजना

884. श्रीमती मालती शर्मा: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को आधे मूल्य पर गेहूं देने की योजना को लागू करने के लिये ऐसे परिवारों के चयन का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें विशेष राशन कार्ड जारी करने और लाभार्थियों को संतोषजनक और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्नों के वितरण हेतु सभी प्रबंध करने को कहा गया है ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वास्तविक क्रियान्वयन हर हालत में जून, 1997 से शुरू किया जा सके।

कोयले की खपत में कमी करने के लिए उर्जा के वैकल्पिक स्रोत

885. श्री रामजीलाल: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है और उसकी प्रति-वर्ष कितनी खपत होती है;

(ख) बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए इस भंडार के कब तक रहने की संभवना है; और

(ग) सरकार द्वारा कोयले की खपत में कमी लाने हेतु ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) 1.1.1997 की स्थिति के अनुसार, भारतीय भू-सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) द्वारा भारत के कोयला भण्डारों को (1200 मी॰ की गहराई तक) 204, 652.69 मि. टन आंकलित किया गया है।

वर्ष 1995-96 में 280 मि.टन कोयले का उठान किया गया था तथा वर्ष 1996-97 में इसके 296 मि. टन होने का अनुमान है।

(ख) भविष्य में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु उत्पादन की बढ़ी हुई दर पर भी, देशीय कोयले के भण्डारों के 100 वर्ष से अधिक की अवधि तक चलने की संभावना है।

(ग) देश में ऊर्जा के संभावित वैकल्पिक स्रोत जलीय आणविक तथा गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सौर एवं वायु ऊर्जा इत्यादि हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के इनके अनुकूलतम स्तर तक दोहन किए जाने पर बल दिया जा रहा है।

Improvement in the working of coal industry

886. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it has been suggested to Government that there should be an overall improvement in the working of the coal industry;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have taken any action on such suggestions to make this industry purposeful and effective; and

(d) if so, details thereof and if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Keeping in view the recommendations of the Chari Committee on Integrated Coal Policy, the Government have taken the following decisions:—

(i) Deregulation of the prices and distribution of D Grade of non-coking coal, hard coke and soft coke with immediate effect.

(ii) Allowing Coal India Limited (CIL) and the Singareni Collieries Company Ltd. (SCCL) to fix the prices of E, F, and G Grades of non-coking coal till 1st January, 2000, once every six months by updating the cost indices as per the escalation formula contained